तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 21/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए नन
06--8—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित, विक्रेता व प्रतिनिधि, मैसर्स कृष्णा केट्र्स, राजकीय मडिकल कॉलेज केन्टीन, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही), प्रतिवादी संख्या 2 (लक्ष्मण राजपुरोहित, प्रोपराईटर, मैसर्स कृष्णा केटर्स, निवासी– खिंदारा, पोस्ट– सिन्दरु, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली), प्रतिवादी संख्या 3 (यशपाल सिंह राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स रोहिणी ट्रडर्स, चम्पा विहार के सामने, शिवतलाव कोर्नर, सादडी–फालना रोड़, मुण्डारा, जिला– पाली) व प्रतिवादी संख्या 4 (मनोहरसिंह राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजपुरोहित डेयरी प्लोट नं. 9, लादपुरा रोड़, घुघरा, अजमेर–305001) के वकील श्री दिनेश राजपुरोहित उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26–7–2024 को मैसर्स कृष्णा केटर्स, राजकीय मेडिकल कॉलेज केन्टीन, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता राहुल पत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमूना संख्या S-2359 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1145/Act/2024/ 1188 दिनांक 02–8–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 06–8–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी राहुल, घी का विक्रय नही करता है तथा न ही घी विक्रय हेतु रखा हुआ था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त घी के नमूनीकरण की कार्यवाही विधि अनुसार व मौके पर सम्पादित नही की है तथा न ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया है व उक्त घी के नमूने को सुरक्षित रखने के लिये प्रीरिजर्व नही डाला है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त घी के नमूने को टेम्परविथ करके जांच हेतु भेजा है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित भी नही कराया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रतिवादीगण को नही दी है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज कर प्रतिवादीगण को दोषमुक्त किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया ......लगातार	

......लगातार

अधि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 21/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 26–7–2024 को 12–30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स कृष्णा केटर्स, राजकीय मेडिकल कॉलेज केन्टीन, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरोही की केन्टीन के निरीक्षण के दौरान केन्टीन में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड कृष्णम) का 15 किलोग्राम का एक पैक टीन आम जन के लिये खाद्य सामग्री निर्माण व उपयोग हेतु रखा हुआ था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड कृष्णम) के 15 किलोग्राम के पैक टीन में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित को भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स कृष्णा केटर्स, राजकीय मेडिकल कॉलेज केन्टीन, सिरोही में आमजन के खाद्य सामग्री निर्माण व उपयोग हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड कृष्णम) के 15 किलोग्राम के पैक टीन को खोलकर उसमें से 1600 ग्राम खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड कृष्णम) को एक साफ, सूखे व खाली भिगोनें में तुलवाकर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 700/– (रुपये सात सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2359, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड कृष्णम) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजुपरोहित के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा घी (कृष्णम ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एकरुप करके चार साफ, सूखी व खाली शीशीयां में प्रतिवादी विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित के समक्ष बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों को ढक्कन लगाकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने उक्त चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना शीशीयों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीव्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील ......लगातार	नन

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 21/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने दिनांक 29–7–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 26–7–2024 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स कृष्णा केटर्स, राजकीय मेडिकल कॉलेज केन्टीन, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2359 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1145/Act/2024/1188 दिनांक 02–8–2024 में खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि लक्ष्मण राजपुरोहित, मैसर्स कृष्णा केटर्स, खिंदारा गांव द्वारा खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) के 15 किलोग्राम के पैक टीन को मैसर्स रोहिणी ट्रेडर्स, चम्पा विहार के सामने, शिवतलाव कोर्नर, सादडी–फालना रोड, मुण्डारा, जिला– पाली से जरिये बिल इनवोईस नम्बर RT/720/204-25 दिनांक 17–7–2024 से क्रय किया है जो प्रतिवादी संख्या 3 (यशपाल सिंह राजपुरोहित) की प्रोपराईटर फर्म है। प्रतिवादी यशपाल सिंह राजपुरोहित की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स रोहिणी ट्रेडर्स द्वारा खाद्य घी (कृष्णम ब्राण्ड) के 15 किलोग्राम के पैक टीन को मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, प्लोट नं. 09, लादपुरा रोड़, घुघरा, अजमेर से जरिये बिल इनवोईस नम्बर 4736 दिनांक 15–7–2024 से क्रय किया है, जो प्रतिवादी मनोहर सिंह राजपुरोहित की प्रोपराईटरी फर्म है एवं खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) की निर्माता व पैकर फर्म है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 26–7–2024 को मैसर्स कृष्णा केटर्स, राजकीय मेडिकल कॉलेज केन्टीन, सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान मैसर्स कृष्णा केटर्स, राजकीय मेडिकल कॉलेज केन्टीन, सिरोही के प्रतिनिधि व विक्रेता राहुल पुत्र लक्ष्मण जी राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) के 15 किलोग्राम के पैक टीन को खोलकर उसमें से 1600 ग्राम घी (कृष्णम ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय किया था, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 02–8–2025 में अमानक (Sub-standard) पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उस खाद्य पदार्थ के निर्माता एवं पैकर उत्तरदायी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि मैसर्स राजपुरोहित डेयरी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है। ....लगातार	नन

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 21/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए नन
	आदेश अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2359) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी मनोहरसिंह राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, प्लोट नं. 9, लादपुरा रोड़, घुघरा, अजमेर–305001 (राजस्थान) पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी मनोहर सिंह राजपुरोहित, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजपुरोहित डेयरी प्लोट नं. 9, लादपुरा रोड़, घुघरा, अजमेर–305001 (राजस्थान) को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी मनोहर सिंह राजपुरोहित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12–9–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001. न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)	